नम्बर व त...
अहकाम जो इस ...
की तारीख में जारी हु...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 40 / 2020 / 136 एलआरएक्ट

1. अर्जुनलाल पत्र रामेश्वर
2. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर

जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 23.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 422, 423 किता 2 कुल रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में आवेदक संख्या एक का नाम अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 जाति जाट तथा भूमि ख0नं0 301, 32, 533/302, 535/302 किता 4 कुल रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम खानड़ी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में आवेदकगण का नाम अर्जूनराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 जाति जाट एवं प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 जाति जाट तथा ख0न0 61, 62 वाके ग्राम खानडी तहसील दांतारामगढ की भूमि में आवेदकगण का नाम अर्जून राम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 128/957 जाति जाट एवं प्रकाशचन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 128/957 जाति जाट तथा भूमि खसरा नम्बर 422/932 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार लोसल तह0 दांतारामगढ की भूमि में आवेदकगण का नाम अर्जून पुत्र रामेश्वर हिस्सा 135/592 जाति जाट एवं प्रकाश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 135/592 जाति जाट दर्ज चला आ रहा है। आवेदकगण का नाम अन्य रिकार्ड यथा पहचान पत्र आदि में सही नाम अर्जुनलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर एवं ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी हरिपुरा लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज चला आ रहा है। आवेदकगण का नाम राजस्व रिर्काड एवं अन्य रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज होने से आवेदकगण को उपरोक्त भूमियों के संबध में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी लाभ लेने से वचित रहे है। जिससे आवेदकगण के वैध हक अधिकारों पर कुठारघात होकर अपूरणीय क्षति हो रही है इसलिए आवेदक संख्या एक का नाम राजस्व रिकार्ड में अर्जूनराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट तथा अर्जून पुत्र रामेश्वर जाति जाट के स्थान पर अर्जूनलाल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर तथा आवेदक संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर व प्रकाश पुत्र रामेश्वर के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी हरिपुरा तह0 दांतारामगढ दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 422, 423, 422/932 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर एवं भूमि खसरा नम्बर 301, 32, 533/302, 535/302, 61 व 62 वाके ग्राम खानड़ी पटवार हल्का भीमा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में में आवेदक संख्या एक का नाम अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम अर्जूनलाल पुत्र रामेश्वर व आवेदक संख्या दो का नाम प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर संशोधित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि आवेदक संख्या एक का नाम अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम अर्जूनलाल पुत्र रामेश्वर व आवेदक संख्या दो का नाम प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर संशोधित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम हरिपुरा के ख0न0 422, 423 में अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 जाति जाट दर्ज है। ग्राम खानड़ी के खसरा नम्बर 301, 32, 533/302, 535/302 में अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6 जाति जाट खं0 न0. 61, 62 में अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 123/957 प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 123/957 जाति जाट के नाम दर्ज है। ग्राम हिरपुरा के खं0 नं0 422/932 में अर्जून पुत्र रामेश्वर हिस्सा 135/592 प्रकाश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 135/592 जाति जाट के नाम से दर्ज है । प्रार्थी आवेदक संख्या एक का मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड एवं कक्षा 11वीं की अंकतालिका में अर्जुनलाल पुत्र रामेश्वर लाल ही दर्ज है। इसी प्रकार आवेदक संख्या दो के आधार कार्ड पैनकार्ड राशन कार्ड 10वीं की अंकतालिका में ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज है। आवेदक संख्या एक का नाम अर्जून व अर्जूनराम पुत्र रामेश्वर के बजाय अर्जुनलाल पुत्र रामेश्वर लाल एवं आवेदक संख्या दो प्रकाश व प्रकाशचन्द पुत्र रामेश्वर के बजाय ओमप्रकाश पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रामेश्वर लाल शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 422, 423, 422/932 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर एवं भूमि खसरा नम्बर 301, 32, 533/302, 535/302, 61 व 62 वाके ग्राम खानड़ी पटवार हल्का भीमा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक संख्या एक का नाम अर्जुनराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम अर्जूनलाल पुत्र रामेश्वर व आवेदक संख्या दो का नाम प्रकाशचन्द्र पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ